

भाप्रसंबें में एंटी रैगिंग नीति

भाप्रसंबें सभी विद्यार्थियों को एक रैगिंग मुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदत्त करने हेतु आश्वस्त करता है और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए समस्त प्रयास करेगा तथापि यदि रैगिंग के मामले सामने आते हैं तो उससे जुड़ी शिकायतों पर सभी आवश्यक कार्रवाई किए जायेंगे।

रैगिंग में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार जैसे शारीरिक या मानसिक, किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य बनाना, चाहे विद्यार्थी नया हो या सीनियर, किसी भी कारण से, जैसे जाति, प्रजाति/मूलवंश, रंग, धर्म, जातीयता, लिंग, यौन आकर्षण, अक्षमता, रूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान या निवास स्थान और आर्थिक पृष्ठभूमि को शामिल किया जाता है।

कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार की रैगिंग के मामले को antiragging@iimb.ac.in ई-मेल आई.डी व एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 080 26993272 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकता है और प्रशासन उस व्यक्ति की चिंताओं का समाधान करने के लिए तत्परता से कदम उठाएगा।

रैगिंग विरोधी समिति

रैगिंग-विरोधी समिति (Anti-ragging committee) में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (छात्रावास), स्नातकोत्तर(पीजीपी) छात्र संघ के अध्यक्ष, और प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम से एक-एक विद्यार्थी प्रतिष्ठित हैं। पीजीपी और पीजीपीबीए के अध्यक्ष समिति को अधिदेश (Mandate) के प्रति सलाह देंगे। समिति एवं उसके सदस्य भाप्रसंबें को रैगिंग मुक्त रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी (छात्रावास) रैगिंग के विरुद्ध ईमेल पर शिकायतों का अवलोकन करेंगे, ताकि शिकायत होने पर त्वरित कदम उठाया जा सके। समिति भाप्रसंबें में रैगिंग को रोकने के लिए समय-समय पर अध्यनरत विद्यार्थियों और कर्मचारीवृंद स्वयंसेवकों को सम्मिलित कर सकती है।

रैगिंग को रोकने के उपाय

रैगिंग को रोकने के उपायों में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे, लेकिन इससे सीमित नहीं होंगे:

1. विवरणिका, नियमावलियों और प्रस्तुतियों में सम्मिलित रैगिंग विरोधी नीति की घोषणा शामिल करते हुए कार्यशाला और अभियानों को चलाया जाएगा ताकि भाप्रसंबें की रैगिंग उत्न्मूलन प्रतिबद्धता पर जोर दिया जा सके।
2. संस्थान में रैगिंग विरोधी उपायों को स्वीकृति देने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों की वचनबद्धता सुनिश्चित की जायेगी।
3. रैगिंग की पहचान के लिए विद्यार्थियों के व्यवहार पर निगरानी रखते हुए रैगिंग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण या जाँच का सहारा लिया जाएगा।
4. संभावित दोषियों एवं पीड़ित विद्यार्थियों को उचित व्यवहार करने हेतु परामर्श दिया जाएगा ताकि ऐसी सभी संभावना से बचाव सुनिश्चित हो सके।
5. ऐसे मामलें जिनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें अध्यक्ष(कार्यक्रम) को सूचित करें, ताकि भाप्रसंबें के नियमों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
6. संबंधित कार्यक्रमों के एस.ए.सी. अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में उनके संबंधित कार्यक्रमों के सभी विद्यार्थियों को रैगिंग -विरोधी नीति परिचालित की जाए।

**भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर की
माता/पिता या अभिभावक संबंधित घोषणापत्र**

जिससे भी संबंधित हो

मैं..... छात्र/छात्राका
माता/पिता या अभिभावक, पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर में छात्रों की
रैकिंग पूर्णता प्रतिबंधित है। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यदि भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर का कोई
छात्र/छात्रा रैकिंग में शामिल होता है, तो उसे उचित दंड दिया जाएगा, जिसमें संस्थान से निष्कासित करना
भी शामिल हो सकता है। अतएव मैं रैकिंग पर संस्थान की स्थिति से पूरी तरह अवगत हूँ।

दिनांक:.....

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर, अभ्यर्थियों द्वारा घोषणापत्र

जिससे भी संबंधित हो

मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि भारतीय प्रबंध संस्थान
बेंगलूर में छात्रों की रैकिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। मुझे स्पष्ट रूप से जानता/जानती हूँ कि यदि भारतीय प्रबंध
संस्थान बेंगलूर का कोई छात्र/छात्रा रैकिंग में शामिल होता है, तो उसे उचित दंड दिया जाएगा, जिसमें
संस्थान से निष्कासित करना भी शामिल हो सकता है। अतएव मैं रैकिंग पर संस्थान की स्थिति से पूरी तरह
अवगत हूँ।

दिनांक:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर